

## Fourteenth Loksabha

**Session : 7**

**Date : 21-02-2006**

**Participants : Yadav Dr. Karan Singh**

**Title : Problems being faced by the students belonging to OBC due to non-receipt of scholarship in Rajasthan.**

**डॉ. करण सिंह यादव (अलवर) :** उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु दी जाने वाली पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राजस्थान सरकार को बहुत कम धनराशि आबंटित की गई है।

महोदय, राजस्थान 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 16 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति एवं लगभग 52 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या वाला क्षेत्र है। वहां के इन वर्गों के कॉलेज, विश्वविद्यालय, मैडीकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को बार-बार राजस्थान सरकार के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। आक्रोशित छात्रों ने गत दिनों भी समाज कल्याण विभाग का घेराव किया और अपना उग्र विरोध दर्ज किया।

महोदय, राजस्थान ने केन्द्र सरकार से इस हेतु 90 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित करने का अनुरोध किया था, लेकिन केन्द्र सरकार की ओर से केवल 30 करोड़ रुपए ही आबंटित किए गए हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए राज्य सरकार ने 23 करोड़ रुपए की मांग की थी, उसे केवल 6 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी प्रकार शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 26 करोड़ रुपए की मांग की थी और केवल 9 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों हेतु 52 करोड़ रुपए की धनराशि आबंटित करने की प्रार्थना की थी, किन्तु इन वर्गों हेतु केवल 2.35 करोड़ रुपए की धनराशि ही प्रदान की गई है।

महोदय, पूर्व में यह छात्रवृत्ति जहां होस्टल में रहने वाले छात्रों को दी जाती थी, वहां अब यह केवल राजकीय संस्थानों के छात्रों को दी जाती है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण वे अपनी फीस भरने की स्थिति में नहीं हैं और संस्थान बिना फीस भरे उन्हें परीक्षाएं देने से रोक रहे हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से अनुरोध है कि वे पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति दिए जाने की जांच कराएं। इसके आबंटन के कोई नियम नहीं हैं। मेरा आग्रह है कि स्पष्ट नियम बनाए जाएं जिससे एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. वर्गों को समय पर छात्रवृत्ति मिल सके।

**उपाध्यक्ष महोदय : श्री दुयन्त सिंह -- उपस्थित नहीं।**